छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 13 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005

छत्तीसगढ़ राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु स्ववित्तीय विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं निगमन के लिए तथा उनके क्रियाकलापों के नियमन एवं तत्संबंधी विषयों या आनुषांगिक विषयों के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय - एक : प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 है.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ द्वारा अपेक्षित न हो, -

(1) "शैक्षणिक परिषद्" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद्.

(2) "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्" से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम 1987 की संख्या 52) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्.

(3) "भारतीय विधिज्ञ परिषद्" से अभिप्रेत है, एड्वोकेट एक्ट 1961 (सन् 1961 का 25) की धारा 4 के अधीन गठित भारतीय विधिज्ञ परिषद्.

(4) "प्रबंधन मण्डल" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का प्रबंधन मण्डल.

(5) "कुलाधिपति" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति.

(6) "मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय के मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी.

(7) "दूरस्थ शिक्षा परिषद्" से अभिप्रेत है - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 (क्र. 50 सन् 1985) की धारा 28 के अधीन स्थापित दूरस्थ शिक्षा परिषद्.

(8) "विन्यास निधि" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय की विन्यास निधि.

(9) "शुल्क" से अभिप्रेत है, विद्यार्थियों से निजी विश्वविद्यालय द्वारा संकलित राशि, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जावे.

(10) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन.